रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 304] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 30, 2008/ज्येष्ठ 9, 1930
No. 304] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 30, 2008/JYAISTHA 9, 1930

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2008

**सा.का.नि. 417(अ).**–(विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) नियमावली, 2004 के नियम 3 का अधिक्रमण करते हुए, निम्नलिखित नियम बानती है, अर्थात् :—

**1. लघु शीर्ष, विस्तार और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान का प्रतिषेध नियमावली, 2008 है ।

(2) ये नियम 2 अक्तूबर, 2008 को प्रवृत्त होंगे ।

**2. परिभाषा :** इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "होटल" से वह भवन या भवन का कोई भाग अभिप्रेत है जहां भोजन की सुविधा अथवा अन्य सेवाओं के साथ या उसके बिना, पैसा लेकर या अन्यथा के लिए व्यवसाय की दृष्टि से ठहरने का स्थान प्रदान किया जाता है और इसमें बोर्डिंग हाउस और गेस्ट हाउस शामिल हैं ।

(ख) "रेस्तरां" से कोई भी ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहां तक जनता की पहुंच है और जहां पर पैसा लेकर या अन्यथा के लिए व्यवसाय की दृष्टि से किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग के लिए किसी भी प्रकार के भोजन या ड्रिंक की आपूर्ति की जाती है और इसमें ऐसे परिसरों के आसपास का खुला स्थान शामिल हैं और इसमें निम्नलिखित हैं–

(i) अल्पाहार कक्ष, दावत हाल, डिस्कोथिक, कैन्टीन, कॉफी हाउस, पब, बार, एयरपोर्ट लाउंज और इन जैसे ।

(ग) अधिनियम की धारा 3 (1) में उल्लिखित "खुले स्थान" में ऐसे कोई स्थान जहां जनता जाती है, शामिल नहीं होंगे जैसे ओपन ऑडिटोरियम, स्टेडियम, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप/स्टैंड और अन्य ऐसे स्थान ।

(घ) अधिनियम की धारा 3 (1) में परिभाषित "सार्वजनिक स्थान" में कार्य स्थल, शॉपिंग माल, और सिनेमा हाल भी शामिल होंगे ।

(ङ) अधिनियम की धारा 4 में परन्तुक में उल्लिखित "धूम्रपान क्षेत्र अथवा स्थान" से एक अलग हवादार धूम्रपान कक्ष अभिप्रेत है जो :—

(i) भौतिक रूप से अलग हो और जो चारों दिशाओं से पूरी ऊंचाई वाली दीवारों से घिरा हुआ हो;

(ii) जिसमें स्वत: बंद होने वाला दरवाजा जिसे सामान्यत: बंद करके रखा जाता है, के साथ प्रवेश द्वारा हो;

(iii) जिसमें अनुसूची I में यथा विनिर्दिष्ट वायु प्रवाह प्रणाली हो ।

(iv) जिसमें भवन के शेष भाग की तुलना में नेगेटिव वायु दबाव हो ।

(च) यहां पर प्रयुक्त किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों, जिनको नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, परन्तु जिनको अधिनियम में परिभाषित किया गया है का अर्थ क्रमश: उनका अधिनियम में दिया गया अर्थ है ।

**3. सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान का प्रतिषेध.**—(1) सार्वजनिक स्थान का मालिक, प्रॉपराइटर, प्रबन्धक, पर्यवेक्षक या मामलों का प्रभारी यह सुनिश्चित करेगा कि :

(क) कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान न करे (उसके क्षेत्राधिकार/अन्तर्निहित के अधीन)

(ख) सार्वजनिक स्थान के प्रवेश द्वार पर, यदि एक से ज्यादा प्रवेश द्वार हैं तो ऐसे प्रत्येक प्रवेश द्वार और उनके अन्दर सुस्पष्ट स्थान

(स्थानों) पर अनुसूची II में उल्लिखित किए अनुसार बोर्ड प्रमुख रूप से लगाया जाना चाहिए ।

(ग) धूम्रपान को सुविधाजनक बनाने वाली किसी भी एस्ट्रे, माचिस, लाइटर या इस प्रकार की डिजाइन की गई वस्तु को सार्वजनिक स्थान पर उपलब्ध नहीं करवाया जाना चाहिए ।

(2) सार्वजनिक स्थान का मालिक, प्रॉपराइटर, प्रबन्धक, पर्यवेक्षक या मामलों का प्रभारी उस व्यक्ति (व्यक्तियों) जिनके पास किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) जो इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, का नाम अधिसूचित करेगा और प्रमुख रूप से प्रदर्शित करेगा ।

(3) यदि सार्वजनिक स्थान का मालिक, प्रॉपराइटर, प्रबन्धक, पर्यवेक्षक या प्राधिकृत अधिकारी ऐसा उल्लंघन सूचित करने पर कार्रवाई करने में असफल रहता है तो मालिक, प्रॉपराइटर, प्रबन्धक, पर्यवेक्षक या प्राधिकृत अधिकारी व्यक्तिगत अपराधों की संख्या के समतुल्य जुर्माना अदा करने का जिम्मदार होगा ।

(**स्पष्टीकरण :** इन नियमों के प्रयोजन के लिए अपराध का अर्थ नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करता हुआ पाया जाने वाला व्यक्ति है)

**4 होटल, रेस्तरां एवं हवाईपत्तन.**—(1) तीस या अधिक कमरों वाले होटल या तीस व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले रेस्तरां का मालिक, स्वामी, प्रबंधक या कार्य प्रभारी तथा हवाईपत्तन का प्रबंधक नियम 2 (ङ) में यथापरिभाषित धूम्रपान क्षेत्र अथवा स्थान की व्यवस्था कर सकता है ।

(2) धूम्रपान क्षेत्र या स्थान होटल, रेस्तरां और हवाईपत्तन के प्रवेश द्वार या निकास द्वार पर स्थापित नहीं किया जाएगा और इसे अंग्रेजी तथा एक भारतीय भाषा जो लागू हो, में "धूम्रपान क्षेत्र" के रूप में स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाएगा ।

(3) धूम्रपान क्षेत्र या स्थान का इस्तेमाल धूम्रपान के प्रयोजनार्थ ही किया जाएगा और कोई अन्य (सेवा) सेवाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(4) तीस या अधिक कमरों वाले होटल का मालिक, स्वामी, प्रबंधक पर्यवेक्षक या कार्य प्रभारी निम्नलिखित निर्धारित तरीके से पृथक धूम्रपान कमरों को नामोद्दिष्ट कर सकता है :—

(क) इस तरह नामोद्दिष्ट सभी कमरे उसी तल या स्कंध, जैसा भी मामला हो, में एक पृथक अनुभाग का निर्माण करेंगे । एक से अधिक तलों/स्कंधों के मामले में यह कमरा एक तल/स्कंध, जैसा भी मामला होगा, में होगा ।

(ख) ऐसे सभी कमरों को अंग्रेजी अथवा एक भारतीय भाषा, जो लागू हो, में स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाएगा ।

(ग) ऐसे कमरे से धुएं को बाहर संवातित किया जाएगा और यह लाबी एवं कारिडोर सहित होटल के गैर-धूम्रपान क्षेत्रों में नहीं फैलेगा/प्रवेश करेगा ।

**5. प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा अर्थदंड की वसूली.**—(1) अनुसूची III में उल्लिखित प्राधिकृत अधिकारी अधिनियम की धारा 4 के तहत कार्य करने और इसके उल्लंघन में किए गए अपराधों को प्रशमित करने के लिए सक्षम होंगे ।

## अनुसूची I

**[ नियम 2 ( ङ ) III देखें ]**

(i) इसे प्रत्यक्षतया ही बाहर निष्कासित किया जाता है और भवन के अन्य भागों के लिए सप्लाई वायु में पुन: मिश्रित नहीं किया जाता है; तथा

(ii) यह नान-रिसर्कुलेटिंग एक्सहास्ट प्रणाली या एयर क्लीनिंग प्रणाली अथवा दोनों के संयोजन द्वारा सुसज्जित किया जाता है जिससे कि यह सुनिश्चित हो कि वायु केवल उसी तरीके से निर्मुक्त होती है जिससे यह धूम्रपान क्षेत्र या स्थान से गैर-धूम्रपान क्षेत्रों में पुन:संचरित अथवा स्थानान्तरित नहीं हो ।

## अनुसूची II

**[ नियम 3 ( ख ) देखें ]**

1. बोर्ड न्यूनतम 60 सेंमी. × 30 सेंमी. आकार का सफेद पृष्ठभूमि का होगा ।

2. इसमें कम-से-कम 15 सेंमी. बाह्य व्यास का एक चक्र होगा जिसके कम-से-कम 3 सेंमी. चौड़ी लाल परिमिति होगी जिसके केन्द्र में काले धुएं के साथ सिगरेट अथवा बीड़ी का चित्र होगा और यह लाल पट्टी से रेखित होगा ।

3. सिगरेट के आर-पार लाल पट्टी की चौड़ाई लाल परिमिति की चौड़ाई के बराबर होगी ।

4. बोर्ड पर अंग्रेजी में अथवा किसी भारतीय भाषा में, जो लागू हो चेतावनी होगी "गैर-धूम्रपान क्षेत्र—यहां धूम्रपान करना अपराध है" ।

## अनुसूची III

**[ नियम 5 देखें ]**

**प्राधिकृत अधिकारी :** धारा 4 के उल्लंघन के खिलाफ अर्थदण्ड लगाने एवं एकत्र करने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति प्राधिकृत होंगा :

| क्रम सं | कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति | सार्वजनिक स्थान का विवरण |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | केन्द्रीय उत्पाद कर/आय कर/सीमा शुल्क/बिक्री कर/स्वास्थ्य/परिवहन के निरीक्षक एवं उनसे ऊपर के अधिकारी | उनके अधिकार क्षेत्र के सभी सार्वजनिक स्थान |
| 2. | स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर/स्टेशन हेड/स्टेशन प्रभारी | रेल एवं इसके समस्त परिसर |
| 3. | राज्य/केन्द्र सरकार के सभी राजपत्रित अधिकारी अथवा स्वायत्त संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के समकक्ष रैंक और उनसे ऊपर के अधिकारी | सरकारी कार्यालय/परिसर तथा स्वायत्त निकायों एवं निगमों के कार्यालय |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 4. | निदेशक/चिकित्सा अधीक्षक/अस्पताल प्रशासक | सरकारी तथा निजी अस्पताल |
| 5. | पोस्ट मास्टर तथा ऊपर के अधिकारी | उनके अधिकार क्षेत्र के संबद्ध डाकघर |
| 6. | संस्था का प्रमुख/एच आर प्रबंधक/प्रशासन प्रमुख | निजी कार्यालय/कार्य स्थल |
| 7. | कालेज, स्कूल/हेड मास्टर/प्राचार्य/शिक्षक | संबंधित शैक्षणित संस्थान |
| 8. | लाइब्रेरियन/सहायक लाइब्रेरियन/लाइब्रेरी प्रभारी/लाइब्रेरी के अन्य प्रशासनिक स्टॉफ | लाइब्रेरी/पठन कक्ष |
| 9. | हवाईपत्तन प्रबंधक/भारतीय वायुपत्तन प्राधिकरण के अधिकारी तथा सभी अनुसूचित एयरलाइंस के अधिकारी | हवाईपत्तन |
| 10. | निदेशक जन स्वास्थ्य/निदेशक स्वास्थ्य सेवा | सभी सार्वजनिक स्थान |
| 11. | केन्द्रीय/राज्य सरकार में प्रशासन प्रभारी | सभी सार्वजनिक स्थान |
| 12. | नोडल अधिकारी/जिला तथा राज्य स्तर पर तम्बाकू रोधी प्रकोष्ठ के फोकल प्वाइंट | सभी सार्वजनिक स्थान |

[फा. सं. पी. 16015/20/2007-पी.एच.]

बी. के. प्रसाद, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

## (Department of Health and Family Welfare)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2008

**G.S.R. 417(E).**—In exercise of the power conferred by Section 31 of the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003), the Central Government hereby makes the following Rules, in supersession to Rule 3 of the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Rules, 2004, namely :—

**1. Short title, Extent and Commencement.**—(1) These rules may be called the Prohibition of Smoking in Public Places Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the 2nd October, 2008.

**2. Definitions :** In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "hotel" shall mean a building or a part of a building where lodging, with or without board or other services, is provided by way of business for consideration monetary or otherwise and includes boarding house and guest house.

(b) "restaurant" shall mean any place to which the public has access and where any kind of food or drink is supplied for consumption on the premises by any person by way of business for consideration monetary or otherwise and shall include the open space surrounding such premises and includes—

(i) refreshment rooms, banquet halls, discotheques, canteen. coffee house, pubs, bars, airport lounge, and the like.

(c) "open space" mentioned in Section 3(1) of the Act shall not include any place visited by the public such as open auditorium, stadium, railway station, bus stop/ stand and other such places.

(d) "public place" defined in Section 3 (1) of the Act shall also include work places, shopping malls, and cinema halls.

(e) "smoking area or space" mentioned in the proviso to Section 4 of the Act shall mean a separately ventilated smoking room that :

(i) is physically separated and surrounded by full height walls on all four sides;

(ii) has an entrance with an automatically closing door normally kept in close position;

(iii) has an air flow system, as specified in schedule I,

(iv) has negative air pressure in comparison with the remainder of the building.

(f) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings, respectively, assigned to them in the Act.

**3. Prohibition of smoking in a public place :** (1) The owner, proprietor, manager, supervisor or in charge of the affairs of a public place shall ensure that :

(a) No person smokes in the public place (under his jurisdiction/implied).

(b) The board as specified in schedule II is displayed prominently at the entrance of the public place, in case there are more than one entrance at each such entrance and conspicuous place(s) inside. In case if there are more than one floor, at each floor including the staircase and entrance to the lift/s at each floor.

(c) No ashtrays, matches, lighters or other things designed to facilitate smoking are provided in the public place.

(2) The owner, proprietor, manager, supervisor or incharge of the affairs of a public place shall notify and cause to be displayed prominently the name of the person(s) to whom a complaint may be made by a person(s) who observes any person violating the provision of these Rules.

(3) If the owner, proprietor, manager, supervisor or the authorized officer of a public place fails to act on report of such violation, the owner, proprietor, manager, supervisor or the authorized officer shall be liable to pay fine equivalent to the number of individual offences.

(**Explanation:** For the purpose of these rules the word offence means a person found violating any provision of the Rules).

**4. Hotels, Restaurants and Airports.**—(1) The owner, proprietor, manager, supervisor or in charge of the affairs of a hotel having thirty or more rooms or restaurant having seating capacity of thirty persons or more and the manager of the airport may provide for a smoking area or space as defined in rule 2(e).

(2) Smoking area or space shall not be established at the entrance or exit of the hotel, restaurant and the airport and shall be distinctively marked as "Smoking Area" in English and one Indian language, as applicable.

(3) A smoking area or space shall be used only for the purpose of smoking and no other service(s) shall be allowed.

(4) The owner, proprietor, manager, supervisor or in-charge of the affairs of a hotel having thirty or more rooms may designate separate smoking rooms in the manner prescribed as under :

(a) all the rooms so designated shall form a separate section in the same floor or wing, as the case may be. In case of more than one floors/wings the room shall be in one floor/wing as the case may be.

(b) all such rooms shall be distinctively marked as "Smoking rooms" in English and one Indian language, as applicable.

(c) the smoke from such room shall be ventilated outside and does not infiltrate/permeate into the non-smoking areas of the hotel including lobbies and the corridors.

**5. Recovery of fine by authorized officers.**—(1) The authorized officers mentioned in schedule III shall be competent to act under and compound the offences committed in violation of Section 4 of the Act.

**Schedule I**

[See Rule 2 (e) (iii)]

(i) that is exhausted directly to the outside and not mixed back into the supply air for the other parts of the building; and

(ii) It is fitted with a non-re circulating exhaust ventilation system or an air cleaning system, or by a combination of the two, to ensure that the air discharges only in a manner that does not re-circulate or transfer it from a smoking area or space to non-smoking areas.

**Schedule II**

[See rule 3(b)]

1. The board shall be of a minimum size of 60 cm by 30 cm of white background.

2. It shall contain a circle of no less than 15 cm outer diameter with a red perimeter of no less than 3 cm wide with a picture, in the centre, of a cigarette or beedi with black smoke and crossed by a red band.

3. The width of the red band across the cigarette shall equal the width of the red perimeter.

4. The board shall contain the warning "No Smoking Area—Smoking Here is an Offence", in English **or** one Indian language, as applicable.

**Schedule III**

(See Rule 5)

**Authorised Officers :** Following persons shall be authorized to impose and collect the fine against the violation of Section 4.

| Sl. No. | Person Authorised to take action | Description of Public Place |
|---|---|---|
| 1. | Inspectors of Central Excise/Income-tax Customs/Sales Tax/Health/ Transport and above | All Public Places within their jurisdiction |
| 2. | Station Master/Asstt. Station Master/Station Head/Station incharge | Railways and all its Premises |
| 3. | All Gazetted Officers of State/Central Government or equivalent rank and above in Autonomous Organizations/PSU | Government offices/premises and offices of the autonomous bodies and corporations |
| 4. | Director/Medical Superintendent/Hospital Administrator | Government and Private Hospital |
| 5. | Post Master and above | Respective Post Office in their jurisdiction. |
| 6. | Head of the Institution/HR Manager/Head of Administration | Private Offices / Workplaces |
| 7. | College/School/Headmaster Principal/Teacher | Respective Educational Institutions |
| 8. | Librarian/Asstt. Librarian/Library incharge/other administrative staff in library. | Libraries/ Reading Rooms. |
| 9. | Airport Manager/Officers of Airport Authority of India and Officers of all schedule Airlines | Airports |
| 10. | Director Public Health/Director Health Services | All Public Places |
| 11. | In charge Administration in Central/State Government | All Public Places |
| 12. | Nodal Officers/Focal Points of Anti-Tobacco Cell at District and State level. | All Public Places |

[F. No. P. 16015/20/2007-PH]
B. K. PRASAD, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.